संख्या- 21 /2025/131 /चार-2025-1882268

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व- महाकुम्भ पर्व के अवसर पर महाकुम्भ, प्रयागराज-2025 के अन्तर्गत बड़े एवं छोटे मंचों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4003/19फोटोवीडियो(कुम्भ)/2024-25-(2), दिनांक 07 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में बड़े एवं छोटे मंचों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हेतु रू0 39,90,700/- की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में निम्नलिखित विवरणानुसार बड़े एवं छोटे मंचों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कार्य किये जाने हेतु रू0 39,90,700/- (रूपये उनतालीस लाख नब्बे हजार सात सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	विवरण	विशिष्टियां	दिनx राशिx मंच	कुल धनराशि
1	बड़े मंच (04)/ प्रदर्शनी स्थल (वीडियोग्राफी) समय 4.00-8.00 PM	Time of Delivery : 01 Day Video Recording (Video Camera & Cameraman) Camera detail - Sony NX/Panasonic/Canon full HD video recording *professional (sony) microphone and audio accessories *Tripod for camera mount (Simpex/ Prolite/Digiteck)	4500X35x4	6,30,000.00
2	बड़े मंच (04)/ प्रदर्शनी स्थल (फोटोग्राफी) समय 4.00-8.00 PM	Time of Delivery : 01 Day Photography (Photographer & Camera) *Camera detail - Canon/Sony DSLR professional, HD Quality photography camera with accessories	3500X35X4	4,90,000.00
3	बड़े मंच (04)/ (लाईव टेलीकास्ट) समय 4.00-8.00 PM	Live Telecast on YouTube or Facebook	3500X35X4	4,90,000.00
4	Photo book/Photo Album	Per Day design and printing Size 12"X18" quality - matte paper 20 sheet photobook per day including 100 to 110 selected photographs (04 Big Manch)	380X4X35	53,200.00
5	Hard drive	4TB SSD final output of video and photo (Big Manch)	40000	40,000.00
6	छोटे मंच (22) (वीडियोग्राफी) समय 3.00-7.00 PM	Time of Delivery : 02 Day Video Recording (Video Camera & Cameraman) Camera detail - Sony NX/Panasonic/Canon full HD	4500X35x7	11,02,500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		video recording *professional(sony) microphone and audio accessories *Tripod for camera mount (Simpex/ Prolite/Digiteck)		
7	छोटे मंच (22) (फोटोग्राफी) समय 3.00-7.00 PM	Time of Delivery : 02 Day ¼03 eap ij 01 Vhe½ Photography (Photographer & Camera) *Camera detail - Canon/Sony DSLR professional, HD Quality photography camera with accessories	3500X35X7	8,57,500.00
8	Photo book/ Photo Album	Per Day design and printing Size 12"X18" quality - matte paper 20 sheet photobook per day including 100 to 110 selected photographs (20 Laghu Manch)	380X20X35	2,66,000.00
9	Hard drive	4TB SSD final output of video and photo (Laghu Manch)	40000	40,000.00
10	अन्य व्यय	01 अतिरिक्त मंच तथा फोटोग्राफर, संग्रहालय निदेशालय हेतु आवश्यक न्यूनतम सामग्रियों हेतु	-	21,500.00
	योग			**39,90,700.00**

3. प्रतिबन्ध/ शर्तें:-

(1) प्रस्तावित कार्य प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कराया जायेगा।

(2) फोटोग्राफर/ वीडियोग्राफर द्वारा करायी गयी फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी के फुटेज विभाग द्वारा नियुक्त पी0आर0 टीम को उपलब्ध कराया जायेगा। पी0आर0 टीम द्वारा इनका फेसबुक/ यूट्यूब आदि से सजीव प्रसारण किया जायेगा एवं अन्य सोशल मीडिया पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। प्रिन्ट मीडिया, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मीडिया सेन्टर के माध्यम से वीडियो/ फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) संस्कृति विभाग की ओर से नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन पर्यवेक्षण व अनुश्रवण किया जायेगा। महाकुम्भ के उपरान्त इन सभी फोटोग्राफ्स का संकलन करके इनमें से उत्कृष्ट फोटोग्राफ्स के चयन के आधार पर एक 'काफी टेबल बुक' प्रकाशित करायी जाये। वीडियोग्राफी से सूचना विभाग द्वारा लगाये गये एल0ई0डी0 को लिंक भी मेला क्षेत्र में सजीव प्रसारण हेतु दिया जायेगा।

(4) उपर्युक्त मदों में उल्लिखित धनराशि में कैमरा उपकरण, कैमरा मैन एवं उसके सहायक का पारिश्रमिक, उनका परिवहन मार्ग व्यय, सूक्ष्म जलपान एवं भोजन आदि व्यय सम्मिलित है।

(5) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(9) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(12) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/ संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(15) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 21 /2025 / 131 (1)/चार-2025-1882268 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।